न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 54/2017/अपील

मुकेश कुमार पुत्र स्व. तोताराम उर्फ तोतिया जाति अहीर निवासी ढ़ाणी बाईवाला तन मोहनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. ईमरती देवी पत्नी मालाराम
2. अशोक पुत्र मालाराम
3. कृष्णा पुत्री मालाराम
4. सुमन पुत्री मालाराम
5. संतोष पुत्री मालाराम
6. कमलेश देवी पत्नि स्व. सुभाष
7. अजय पुत्र सुभाष } नाबालिग जरिये माता कमलेश देवी
8. सचिन पुत्र सुभाष } पत्नी स्व. सुभाष
9. मीना पुत्री सुभाष
10. मनीषा पुत्री सुभाष
   समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी बाईवाला तन मोहनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
11. उप तहसीलदार उप तहसील पाटन

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 867 दिनांक 14.01.2013 द्वारा उप तहसीलदार पाटन

वकील अपीलांट श्री ईस्लामुदीन गौरी
वकील रेस्पोडेंट श्री छोटूराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः— 20.06.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमिया खसरा नम्बर 167 रकबा 1.64 हैक्टर व खसरा नम्बर 168 रकबा 0.19 हैक्टर ग्राम राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा निरीक्षक हल्का पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमिया पूर्व में मालाराम पुत्र परताराम जाति अहीर निवासी ढाणी बाईवाला तन मोहनपुरा तहसील नीमकाथाना के कब्जे काश्त व ख़ातेदारी की कृषि भूमिया थी। मालाराम की मृत्यु के पश्चात मालाराम की पत्नि, पुत्र, पुत्रिया तथा पोत्र–पोत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 काबिज हो गये। अपीलांट मालाराम के जीवनकाल मे ही अपनी बाल्यावस्था में तोताराम उर्फ तोतिया जाति अहीर निवासी ...

नाता अणची देवी द्वारा दिनांकित 11.04.2017 को अपीलार्थी के पक्ष में गोदनामा पंजीकृत करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कृषि भूमियों का नामान्तरण संख्या 867 दिनांकित 14.01.2013 तस्दीक करते समय अपीलार्थी का नाम भी बतौर पुत्र मालाराम तस्दीक कर दिया, जबकी अपीलार्थी अपने दतक पिता की सम्पतियों पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांकित 14.01.2013 के द्वारा नामान्तरण संख्या 867 तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस व सूचना अपीलार्थी को नही दी गई तथा ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। स्व. मालाराम की विरासत के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 867 दिनांकित 14.01.2013 के तस्दीक करने से पूर्व कोई जांच नही की गई। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 867 तस्दीक करने से पूर्व स्व. मालाराम की सम्पूर्ण विरासत की जांच की जाती तो स्पष्ट था कि अपीलार्थी का स्व. मालाराम की कृषि भूमियों में कोई हक व अधिकार नही था। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा विरासत व मौके की जांच किये बिना ही नामान्तरण संख्या 867 दिनांक 14.01.2013 तस्दीक कर सख्त कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 867 दिनांक 14.01.2013 अपीलार्थी की हद तक निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। विवादित नामान्तकरण मालाराम के फौत होने पर उसकी विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में सरपंच ग्राम पंचायत बल्लुपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र दिनांक 11.06.2015 में अपीलार्थी मुकेश को अणची देवी पत्नी तोताराम का वारिस गोद लिया हुआ पुत्र होना अंकित किया हैं। गोद नामा की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिवक्ता अपीलार्थी का भी यही कथन है कि अपीलार्थी मुकेश कुमार अणची देवी पत्नी स्व0 तोताराम उर्फ तोतिया के गोद का पुत्र है, जिसका उपरोक्त भूमियों पर कोई हक अधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी स्वयं गोद पुत्र होने का कथन करने एवं ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में अपीलार्थी मुकेश गोद पुत्र होना अंकित किया गया है। जब कि नामान्तकरण संख्या 867 दिनांक 14.01.2013 के अनुसार अपीलार्थी मुकेश का भी हिस्सा दर्ज दिया गया है। इस प्रकार यह जाहिर है कि नायब तहसीलदार पाटन द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय समस्त वारिसान की जांच नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं नामान्तकरण संख्या 867 दिनांक 14.01.2013 निरस्त किया जाकर पत्रावली नायब तहसीलदार पाटन को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में स्व0 मालाराम के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/18

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official